/82469/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2022–23 का अनुपूरक) अधिनियम, 2022 के क्रम में प्रथम अनुपूरक मांग की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम अनुपूरक मांग से सम्बन्धित समस्त प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियां वित्त विभाग के शासनादेश सं0–391, दिनांक 24.06.2022 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्गत की जायेगी। प्र0वि0 यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के सम्बन्धित मानक मद में प्रावधानित धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात् ही प्रथम अनुपूरक अनुदान में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत की जाय।

3. नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–67149 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 09-12-2022 13:17:27
(दिलीप जावलकर)
सचिव

<u>संख्या– /03(150)2017/XXVII(1)/2022 एवं तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. - सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
4. - मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ।

/82469/2022

5. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. - निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तराखण्ड।
7. - निदेशक, लोक सूचना एवं सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. - निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
9. - शासन के समस्त अनुभाग।

(दिलीप जावलकर)
सचिव